

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

~~अपराध/प्रार्थनापत्र~~ बनाम ~~विपक्षीय/प्रार्थनापत्र~~ नं.

किसम मुकदमा 2012/22 - 53,54,55, 188 नं. 8 सन 2022

दिनांक	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
--------	-------------------------------------	---

20/11/22 वाद/प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीय को सम्पन नोटिस जारी किये जावे। पनावली दिनांक 28/11/22 को पेश हो।
~~उपखण्ड अधिकारी एवं~~
~~सहायक कलक्टर, करेड़ा~~

28/11/22 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का उल्लेख प्रकरण में प्रविष्टिगत की तामील दिनांक 25/04/22 का पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

25/11/22 पत्रावली पेश हुई, अतिरिक्त मय न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार एवं पत्रावली दिनांक को पेश हो। 25/11/22
~~उपखण्ड अधिकारी पदेन~~
~~सहायक कलक्टर करेड़ा~~

25/11/22 पत्रावली पेश हुई, वारी व वारी शरियात के अनुसार। प्रकरण में वारी व उनके अधिकार को विचार कर मरणा इलाके पूरापूर किन्हु कोड़े उपस्थित करी होने से वारी का वाड क्षति हमी करके पेशी के एवजी बिना लागत ही पूरापूर के सब शक्य होकर उक्त नम्बर से करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

